[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 13 जुलाई, 2018

अधिसूचना
सं0 37/2018 - सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण), नियम 1995, के नियम 18 और 20 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के साथ पाठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. 568(अ), तारीख 16 जुलाई, 2012 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 36/2012 सीमा शुल्क (एडीडी), तारीख 16 जुलाई, 2012 को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करते हैं।

(फा.सं. 354/92/2012-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार